संख्याः 34 /ix-1/2024-01(01)/2024

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखंड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखंड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखंड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः **"उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024" लागू करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को प्रोत्साहित करने तथा पुराने डीजल आधारित बसों एवं विक्रम/टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम करने के प्रयोजन से शहरी क्षेत्रों में डीजल चालित बसों एवं विक्रम को सी.एन.जी. अथवा अन्य स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन चालित बस से बदलने तथा डीज़ल चालित विक्रम/टैम्पो को बी.एस.–VI ओमनी बस से बदलने के लिए एकमुश्त पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy)/प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु **"उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024"** लागू करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत् हैः–

"उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024"
(Uttarakhand Clean Mobility Transition Policy, 2024)

1. पृष्ठभूमि :

उत्तराखंड शासन के परिवहन विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों को सस्ती और कम लागत वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और एक कुशल परिवहन प्रणाली के माध्यम से अंतिम–मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड में बढ़ती शहरी आबादी के कारण मौजूदा परिवहन प्रणाली पर जनसंख्या दबाव भी निरन्तर बढ़ रहा है और इस गैप (मांग एवं पूर्ति का अन्तर) को कम करने के लिए अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता है। तथापि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ–साथ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में परिवहन क्षेत्र का भी परिहार्य योगदान है। परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित कुछ प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2), पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी), और बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और डीजल पार्टिकुलेट जैसे वायु विषाक्त यौगिक शामिल हैं।

वर्ष 2027 तक सभी डीजल आधारित और पुरानी तकनीक वाले शहरी सार्वजनिक परिवहन यानों, जो या तो संचालन के लिए अनुपयुक्त हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, को चरणबद्ध तरीके से बदलने अथवा उच्चीकृत करने के लक्ष्य के तहत सार्वजनिक परिवहन सुविधा को अधिक मजबूत बनाने एवं प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु स्वच्छ और स्वस्थ वाहनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड शासन द्वारा पुरानी डीजल चालित बसों और विक्रम को सीएनजी, इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी और अन्य वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए सीमित समय हेतु पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy)/प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना लागू की जा रही है।

2. दृष्टि :

परिवहन विभाग, उत्तराखंड शासन अपने नागरिकों की सुविधा हेतु स्वच्छ और मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति सीमित संख्या में शहरी परिवहन संचालकों को "पहले आओ–पहले पाओ" सिद्धान्त के आधार पर एकमुश्त पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) के साथ पुरानी डीज़ल चालित बसों और विक्रम को स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों से बदलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जा रही है।

3. **उद्देश्य :**

(1) उत्तराखंड के नागरिकों को भीड़–भाड़ मुक्त, गैर–प्रदूषणकारी, सस्ती, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना।

(2) सार्वजनिक परिवहन के लिए पुरानी प्रौद्योगिकी/अनुपयुक्त वाहनों के स्थान पर स्वच्छ ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना।

(3) सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी वाहनों जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(4) सार्वजनिक परिवहन के लिए गतिशीलता में नवाचार को प्रोत्साहित करना।

(5) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सार्वजनिक परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(6) परिवहन क्षेत्र से हानिकारक उत्सर्जन को कम करना और राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करना।

(7) वर्ष 2027 तक उत्तराखंड राज्य की शहरी परिवहन प्रणाली से सभी पुराने डीज़ल चालित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को संचालन से बाहर करने हेतु प्रयास करना।

4. **परिभाषा :**

(1) **सीएनजी बस :** सीएनजी बस एक ऐसी बस है जो डीजल ईंधन के बजाय संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) द्वारा संचालित होती है। सीएनजी एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है जो डीजल ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है, जिससे यह अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाता है।

(2) **इलेक्ट्रिक बस :** इलेक्ट्रिक बस एक प्रकार की बस है जो आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होती है। ऐसी बसें केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।

(3) **एक्स–शोरूम मूल्य :** एक्स–शोरूम मूल्य उस कीमत को संदर्भित करती है जिस पर डीलर क्रेता को वाहन का विक्रय करते हैं। इस कीमत में वाहन पंजीकरण की लागत, मोटरयान कर और बीमा राशि सम्मिलित नहीं है।

(4) **परमिट :** परमिट किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया एक लिखित प्राधिकार या लाइसेंस है जो किसी व्यक्ति या संगठन को एक विशिष्ट प्रयोजन या संचालन करने की अनुमति देता है। 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति' के मामले में, परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति/संगठन को शुल्क के भुगतान पर शहर/राज्य के विशिष्ट मार्गों/क्षेत्रों में संचालन के लिए दिए गए लाइसेंस को संदर्भित करता है।

(5) **वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र :** वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र एक दस्तावेज है जो स्क्रैप किए गए वाहन के अंतिम निपटान को प्रमाणित करता है। उक्त प्रमाणपत्र एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा मालिक से स्क्रैपर को वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण को मान्यता देने के लिए जारी किया जाता है।

(6) **अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन :** अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वे वाहन हैं जो अब सड़क पर चलने लायक नहीं हैं या सुरक्षा और मरम्मत के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये वाहन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने में योगदान करते हैं।

(7) **शहर/सार्वजनिक परिवहन :** शहर/सार्वजनिक परिवहन से तात्पर्य किसी शहर या शहरी क्षेत्र के भीतर आम जनता द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध मंजिली गाड़ियों से युक्त परिवहन प्रणालियों से है। यह यात्रियों के लिए परिवहन की एक प्रणाली है जिसे आम तौर पर एक समय सारणी पर केन्द्रित करते हुए वाहनों को निर्धारित मार्गों पर संचालित किया जाता है और उपयोग के लिए निर्धारित किराया लिया जाता है।

(8) **संचालक** : सिटी बस/विक्रम सेवा का संचालक एक ऐसा व्यवसायी है जो यात्रियों को शहरी क्षेत्रान्तर्गत एक निर्दिष्ट स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सिटी बस/विक्रम का संचालन करता है। संचालक एक व्यक्ति या व्यक्तियों/संगठनों का समूह हो सकता है।

(9) **उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पोर्टल (यूसीएमटी पोर्टल)** : उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पोर्टल (यूसीएमटी पोर्टल) से आशय इस नीति के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया के कार्यान्वयन, संचालन और पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए विकसित किया जाने वाला ऑनलाइन पोर्टल है।

(10) **ग्रीन एंट्री सेस** : ग्रीन एंट्री सेस अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे वाहनों पर लिया जाने वाला शुल्क है।

5. **पात्रता/मानदंड :**

सभी डीजल चालित शहरी परिवहन बस और सभी डीजल चालित शहरी विक्रम "उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति" के तहत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

6. **नीति का सार :**

(1) परिवहन विभाग, उत्तराखंड द्वारा डीज़ल चालित पुरानी बस और विक्रम को स्वच्छ ईंधन आधारित प्रौद्योगिकी बसों/ओमनी बसों और अन्य वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों में परिवर्तित करने के लिए शहरी परिवहन संचालकों को प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) प्रदान किया जायेगा।

(2) यान में परिवर्तन की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सब्सिडी कवर करेगी, जिससे संचालकों के लिए स्वच्छ ईंधन, प्रौद्योगिकी आधारित वाहन अधिक वहनीय होंगे।

(3) नीति के अंतर्गत उन संचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा जो डीज़ल चालित पुरानी तकनीक आधारित वाहनों को स्क्रैप कर नई सीएनजी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन आधारित बस/ओमनी बस सार्वजनिक परिवहन के लिये वैध परमिट पर खरीदेंगे।

(4) राज्य में स्वच्छ ईंधन–आधारित प्रौद्योगिकी वाहनों के लिए आपूर्ति–श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र (Eco System) के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(5) डीज़ल चालित पुरानी बसों और विक्रम को धीरे–धीरे स्वच्छ ईंधन–आधारित तकनीक और अन्य वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों से बदलने की दिशा में काम किया जायेगा।

(6) मौजूदा सार्वजनिक परिवहन वाहनों का सीएनजी या अन्य वैकल्पिक ईंधन में रेट्रोफिटिंग को इस नीति के हिस्से के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

(7) उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले डीजल आधारित वाणिज्यिक वाहन जो कि मोटर यान अधिनियम 1988 के नियम 48 के अन्तर्गत एनओसी के पश्चात् उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे वाहनों को उत्तराखण्ड में सीएनजी रेट्रोफिटिंग किट अधिकृत सेवा प्रदाता से लगवाए जाने के पश्चात् पंजीकृत किया जा सकेगा।

(8) परिवहन विभाग द्वारा इस नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् वायु, शोर और पर्यावरण प्रदूषण का तृतीय–पक्ष प्रभाव विश्लेषण (अध्ययन) कराया जाएगा, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि इस नीति के माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण में कमी से कितना लाभ प्राप्त हुआ और यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा ऐतद्विषयक निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

7. **नोडल एजेंसी :**

(1) परिवहन विभाग, उत्तराखंड शासन "उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति" के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।

(2) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन प्रोत्साहन राशि का वितरण परिवहन विभाग, उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा।

(3) नीति के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु एक राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति तथा एक कार्यकारी समिति निम्नवत् होगी :–

(i) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति :

1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन	संयोजक
3	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सदस्य सचिव, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड	सदस्य
6	आयुक्त/अपर/संयुक्त/उप परिवहन, उत्तराखंड	सदस्य

(ii) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की भूमिका और दायित्व :–

(1) अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के लिए मानकों और प्रमाणपत्रों के अनुसार नीति तैयार करना।

(2) भारत सरकार की विभिन्न स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन योजनाओं और नीतियों के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही करना।

(3) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन के दौरान आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक योजनाएँ तैयार करना तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय लेना।

(4) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के लिए परिचालन ढ़ांचा तैयार करना।

(5) नीति के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समय पर स्वीकृति और पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि का वितरण सुनिश्चित कराना।

(iii) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति :

1	परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड	अध्यक्ष
2	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन	सदस्य
3	निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखंड	सदस्य
4	अपर/संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड	संयोजक
5	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून	सदस्य

(iv) कार्यकारी समिति की भूमिका और दायित्व :–

(1) भारत सरकार के मानकों एवं प्रमाणन मानदंडों के अनुसार नीति लागू करना।

(2) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति का कार्यान्वयन करना।

(3) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के क्रियान्वयन के दौरान प्रकाश में आने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

(4) स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत अनुमन्य पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि की समय पर स्वीकृति और वितरण/अंतरण सुनिश्चित करना।

(5) उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया एवं पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि के वितरण/अंतरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल तैयार करना।

8. राजकोषीय प्रोत्साहन :

(1) मौजूदा शहरी परिवहन संचालकों को डीज़ल चालित पुरानी तकनीक/प्रदूषणकारी शहरी सार्वजनिक परिवहन बसों और विक्रम को स्वच्छ ईंधन वाली बस/ओमनी बस में बदलने के लिए परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

(2) मौजूदा पुरानी तकनीक/प्रदूषणकारी डीज़ल चालित वाहनों को सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली बस/ओमनी बस में अपग्रेड करने के लिए वैध परमिट रखने वाले पंजीकृत सिटी बसों/विक्रम संचालकों को एकमुश्त पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) प्रदान किया जायेगा।

(3) **मौजूदा सिटी बस ऑपरेटर हेतु अनुमन्य पूंजीगत अनुदान :**

(i) **विकल्प 'अ'** : वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन लागत (एक्स–शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) का पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy)/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

(ii) **विकल्प 'ब'** : वाहन को स्क्रैप किए बिना परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स–शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 12.00 लाख) का पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

(iii) यदि विकल्प 'ब' चुना जाता है, तो सिटी बस संचालक, वाहन को स्क्रैप नहीं करेंगे एवं वाहन स्वामी को दूसरे राज्य में संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(4) **मौजूदा विक्रम संचालक हेतु अनुमन्य पूंजीगत अनुदान :**

(i) **विकल्प 'अ'** : वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र और परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी वैध परमिट प्रस्तुत करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स–शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) का पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

(ii) **विकल्प 'ब'** : वाहन को स्क्रैप किए बिना परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय हेतु वाहन की लागत (एक्स–शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 12.00 लाख) पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

(iii) **विकल्प 'स'** : डीज़ल चालित पुराने विक्रम को नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस बीएस–VI से बदलने के इच्छुक वैध परमिट धारक विक्रम संचालकों को 1:1 के अनुपात में प्रोत्साहन के रूप में नये वाहन की लागत का 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (अधिकतम ₹ 3.50 लाख) दिया जायेगा।

(iv) वैध परमिट वाले मौजूदा विक्रम संचालक जो नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें इस नीति में 4:1 के अनुपात में समायोजित किया जायेगा। तद्नुसार यदि विकल्प 'अ' चुना जाता है, तो विक्रम संचालक को 04 विक्रमों का पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र और विक्रमों का वैध परमिट जमा करना होगा तथा नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे विक्रम मालिकों/संचालकों को एकल इकाई स्वामित्व के मामले में एक कन्सोर्टियम अथवा संयुक्त वेन्चर बनाना होगा।

(v) यदि विकल्प 'ब' या विकल्प 'स' चुना जाता है, तो विक्रम संचालक वाहन को स्क्रैप नहीं करेंगे तथा ऐसे संचालकों को पुराने वाहन के दूसरे राज्य में संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) नीति के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे किसी भी प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।

(6) परिवर्तन प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड सरकार की किन्हीं दो नीतियों को जोड़ा नहीं जायेगा।

9. पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि का वित्तपोषण :

(1) उत्तराखंड के लिए स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत प्रस्तावित पूंजीगत अनुदान (**Capital Subsidy**) को परिवहन विभाग, उत्तराखंड द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा।

(2) नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में "उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड" के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा।

(3) उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड का उपयोग केवल इस नीति के अधीन प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए किया जायेगा।

(4) ग्रीन सैस तथा ग्रीन एंट्री सैस को उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड में जमा किया जायेगा। इस नीति के तहत पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रथमतः ग्रीन सैस/ग्रीन एंट्री सैस के संग्रह से किया जायेगा।

(5) अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि इस नीति का भाग होगा, जिसका अनुमोदन समय–समय पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से प्राप्त किया जायेगा।

(6) प्रोत्साहन राशि आवंटन में जितनी भी धनराशि की कमी होगी, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लेकर बजट के माध्यम से पूर्ति की जायेगी।

10. नीति का कार्यान्वयन :

(1) नीति को प्रथम चरण के अंतर्गत देहरादून नगर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुमति से चरणबद्ध तरीके से अन्य नगरों में भी लागू किया जा सकेगा।

(2) वर्ष 2027 तक उत्तराखंड के सिटी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से सभी पुराने डीज़ल चालित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सी.एन.जी. अथवा अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों से बदलने का लक्ष्य रखा जायेगा।

(3) इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए संचालकों द्वारा उत्तराखंड राज्य से ही उक्तानुसार नया/प्रतिस्थानी वाहन खरीदना आवश्यक होगा।

(4) उत्तराखंड राज्य में वाहन खरीदने और पंजीकृत होने के पश्चात ही संचालकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (**DBT**) के माध्यम से पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि अंतरित की जायेगी।

11. आवेदन प्रक्रिया :

'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति' का क्रियान्वयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(1) **आवेदन :** संचालकों को पोर्टल में नियत प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज यथा स्वामित्व का प्रमाण–वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध परमिट, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग का वैध प्रमाण पत्र, (यदि वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुना गया है), बैंक ऋण प्रमाण पत्र, (यदि स्वयं वित्त पोषित नहीं है) और नीति के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नए वाहन की लागत अनुमान (प्रोफार्मा चालान) प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(2) **आवेदन की स्वीकृति :** संचालक द्वारा खरीदे गए वाहन के सापेक्ष पूंजीगत अनुदान/प्रोत्साहन राशि के संवितरण/अंतरण के लिए पोर्टल में नए वाहन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, नए वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, नए परमिट के लिए आवेदन तथा बैंक खाते का विवरण अपलोड करना आवश्यक होगा।

(3) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उक्तानुसर आवेदन एवं संगत दस्तावेज प्राप्त होने पर कार्यकारी समिति द्वारा अविलम्ब सम्यक विचारोपरान्त आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी और स्वीकृति के 03 दिवस के अन्दर परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रोत्साहन राशि आवेदक के खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

12. नीति की वैधता एवं नीति परिचालन दिशा निर्देश :

(1) "उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति" शासनादेश जारी होने की तारीख से लागू होगी और एक वर्ष के लिए वैध होगी। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा समय–समय पर नीति का क्षेत्र विस्तार एवं समय सीमा में वृद्धि किया जा सकेगा।

(2) "उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति" से संबंधित परिचालन दिशा–निर्देश आवश्यकतानुसार समय–समय पर पृथक से जारी किये जा सकेंगे।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्याः 34 /IX-1/2024–01(01)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखंड को मा0 श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखंड को मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखंड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
6. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल।
7. परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड ।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।